

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संख्या-05/स्था0 (DTO)-30/2018 (छाया संचिका) /जिला पदाधिकारी, सहरसा के अनुशंसा के आलोक में श्री अभिनय भास्कर, बि0प्र0से0, वरीय उप समाहर्ता, सहरसा को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री अभिनय भास्कर, को जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कृत्यानंद रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

निर्बंधित/ई-मेल

ज्ञापक:-05/स्था0 (DTO)-30/2018 (छाया संचिका)

4943

/पटना, दिनांक.....

19/6/2025

प्रतिलिपि- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री अभिनय भास्कर, बि0प्र0से0, वरीय उप समाहर्ता, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा/जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, सहरसा प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक-F, एन0आई0सी0 (NIC), बिहार, पटना से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना में अंकित श्री अभिनय भास्कर, बि0प्र0से0, वरीय उप समाहर्ता, सहरसा को जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा के कार्य हेतु वाहन/सारथी कार्य के लिए User ID/Password निर्गत करने की कृपा की जाय।

19.6.25
सरकार के संयुक्त सचिव